élections Québec

मतदाता-पुस्तिका

क्यूबेक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ आपको आपके अधिकारों की जानकारी दे रहे हैं।

क्या आप वोट दे सकते हैं?

वोट देने के लिए, **यह अनिवार्य है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो** और मतदान के दिन आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

- आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो;
- आप कनाडा के नागरिक हों; और
- आप पिछले छह महीने से क्यूबेक में रह रहे हों।

क्या आपका नाम मतदाता-सूची में दर्ज है?

आप इसकी जाँच उस अधिसूचना को देखकर कर सकते हैं जो कि आपको घर पर मिलती है।

आप अपना नाम मतदाता-सूची में किस प्रकार दर्ज करवा सकते हैं?

आपको मतदाता-सूची में नाम दर्ज करवाने या सुधार करवाने के लिए संशोधन कार्यालय (रिविज़न ऑफ़िस) में जाकर आवेदन देना होगा। आपका कोई संबंधी, पति या पत्नी अथवा कोई व्यक्ति जो आपके साथ रहता हो, आपकी ओर से आवेदन कर सकता है।

आपको अपने आवेदन के साथ दो पहचान के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे; अन्यथा, आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रथम दस्तावेज़

प्रथम दस्तावेज़ पर आपका नाम और आपकी जन्म-तिथि अवश्य अंकित होने चाहिए।

उदाहरण: जन्म का प्रमाण-पत्र, क्यूबेक स्वास्थ्य बीमा कार्ड, कनाडियन पासपोर्ट।

दूसरा दस्तावेज़

दूसरे दस्तावेज़ पर आपका नाम और पता अवश्य अंकित होना चाहिए।

उदाहरण: क्यूबेक ड्राइवर लाइसेंस, टेलिफ़ोन या बिजली का बिल।

रिविज़न ऑफ़िस कहाँ अवस्थित है?

आपके रिविज़न ऑफ़िस का पता और वह किन दिनों और किस समय खुला रहता है, यह जानकारी उस अधिसूचना पर दी गई है, जो आपको घर पर मिलेगी।

अतिरिक्त विलंब

यदि आप संशोधन अवधि ख़त्म हो जाने के बाद मतदाता-सूची में नाम दर्ज करवाने या सुधार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिटर्निंग ऑफ़िसर के कार्यालय से संपर्क अवश्य करना चाहिए। आपको विशेष संशोधन अवधि तथा उस पते के बारे में सूचित किया जाएगा, जहाँ यह काम किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, **केवल मतदाता ही स्वयं** आवेदन दे सकता है।

महत्त्वपूर्ण! मतदाता सूची में विशेष संशोधन के दौरान की गई आपकी प्रविष्टि अग्रिम मतदान में नहीं बल्कि केवल मतदान के दिनों में और चुनाव के दिन ही चुनाव कार्यालय पर वोट डालने का अधिकार प्रदान करती है।

वोट कब और कहाँ दें?

वोट के कुछ दिन पहले आप एक स्मरण कराने वाला कार्ड प्राप्त करेंगे जिसमें चुनाव के दिन वोट डालने के लिए आवश्यक सारी जानकारी मौजूद होगी। आपको अपने चुनाव डिविज़न में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नामों की जानकारी भी प्राप्त होगी।

क्या आप चुनाव के दिन मतदान करने में असमर्थ हैं? कई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं!

- आप अग्रिम मतदान में भी वोट डाल सकते हैं। अपने अग्रिम मतदान केंद्रों के पते, मतदान के दिन और प्रारंभ होने का समय जानने के लिए आप आपके घर पर भेजी गई नोटिस को देखें।
- आप मतदान अधिकारी के कार्यालय या किसी नामित कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिन वोट डाल सकते हैं। आपके लिए आवंटित कार्यालय का पता लगाने के लिए मतदान अधिकारी से और अधिक जानकारी प्राप्त करें अथवा हमारी वेबसाइट देखें।
- यदि आप मतदान के दिनों में अपने निवास वाले चुनाव डिविज़न के बजाय किसी अन्य चुनाव डिविज़न में अस्थाई रूप से रह रहे हैं, तो आप इस चुनाव डिविज़न के मतदान अधिकारी के कार्यालय में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिन वोट डाल सकते हैं। आप अपने निवास वाले चुनाव डिविज़न के किसी उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे।
- मतदान केंद्र अधिकतर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी स्थापित किए जाएँगे।

वोट कैसे डालें?

चरण 1 एक चुनाव अधिकारी मतदाता-सूची में आपके नाम की जाँच करता है।

चरण 2 आप अपनी पहचान बताते हैं और अपना पहचान-पत्र दिखाते हैं।

चरण 3 आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है।

चरण 4 आप बूथ में जाते हैं, जहाँ आप गोपनीय रूप से अपना चुनाव कर सकते हैं। आप बैलेट पेपर में केवल एक गोले में निशान लगाएँगे और इसके लिए आप केवल उस पेंसिल का प्रयोग करेंगे, जो आपको डेप्युटी रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा दी जाएगी।

चरण 5 वोट देने के बाद मेज़ (टेबल) पर वापस आ जाएँ।

चरण 6 आप अपना बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में स्वयं डाल दें।

महत्त्वपूर्ण! वोट डालने के लिए, आपको निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ दिखाकर अपनी पहचान साबित करनी होगी:

- क्यूबेक स्वास्थ्य बीमा कार्ड;
- क्यूबेक ड्राइवर-लाइसेंस;
- कनाडियन पासपोर्ट;
- भारतीय स्थिति का प्रमाण-पत्र;
- कनाडियन सुरक्षा बल का प्रमाण-पत्र।

क्या आपके वोट देने के अधिकार के अन्य तरीके हैं?

हाँ, इन लोगों के लिए अन्य विशेष उपाय उपलब्ध हैं:

- जो क्यूबेक से अस्थाई रूप से अनुपस्थित रहे हों;
- जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपना निवास छोड़ पाने में असमर्थ हों और उनका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता उसी पते पर निवास कर रहा हो;
- जो किसी चिकित्सालय (हॉस्पिटल), लंबी अवधि तक देखभाल करने वाले निवास और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, किसी पुनर्वास केंद्र, या बुज़ुर्गों के लिए बने कुछ निश्चित आवासों में भर्ती हो या निवास कर रहा हो।

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जो इन स्थितियों में हो?

उन्हें जल्दी से जल्दी सूचित करें, क्योंकि चुनाव अवधि में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रारंभ में ही प्राप्त होने चाहिए।

कोई प्रश्न हैं?

- हमारी वेब साइट देखें: **www.elections.quebec**
- दिए गए नंबर पर डायल करके हमसे संपर्क करें: **1-888-ELECTION (1-888-353-2846).**
- हमें इस पर ई-मेल करें: **info@electionsquebec.qc.ca**

ATS बधिर और ऊँचा सुनने वाले लोग
टॉल फ़्री (निःशुल्क) नंबर 1-800-537-0644 पर कॉल कर सकते हैं।